(वाद सं0–6953/2017)

22.02.2022

परिवादी, कलावती देवी, तथाकथित कार्य समिति सदस्य, बिहार राज्य पंचायत परिषद्, पटना उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, बिहार राज्य पंचायत परिषद्, पटना द्वारा परिवादी के जनवरी 2006 से सितम्बर 2017 तक किये गये कार्य हेतु वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर पंचायती राज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रधान सचिव से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पंचायती राज्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले में पंचायती राज्य विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। प्रतिवेदनानुसार परिवाद पत्र में बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु अध्यक्ष, बिहार पंचायत परिषद् से परिवादी द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्त पर बिहार राज्य पंचायत परिषद्, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी साथ ही साथ उन्हें इस निमित कई बार स्मारित भी किया गया, लेकिन बिहार राज्य पंचायत परिषद्, पटना द्वारा अब तक वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।

तदोपरान्त् राज्य आयोग द्वारा परिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसके आलोक में आज परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हुयी।

परिवादी का राज्य आयोग के समक्ष कथन है कि उसका तथाकथित वेतन भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर नहीं है, अपितु बिहार राज्य पंचायत परिषद् को है। परिवादी का यह भी कथन है कि बिहार राज्य पंचायत परिषद् कोई सरकारी संस्था नहीं है। जब राज्य आयोग द्वारा परिवादी से इस संबंध में पृच्छा की गयी कि कार्य समिति सदस्य के रूप में बिहार राज्य पंचायत परिषद् द्वारा नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र में वेतनादि के भुगतान के संबंध में किसी भी शर्त का उल्लेख किया है? तो इस संबंध में परिवादी का कथन है कि

नियुक्ति पत्र में वेतनादि के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन परिवाद राज्य सरकार/लोक प्राधिकार के विरूद्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के समक्ष परिवादी का परिवाद पोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक